

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 12 जुलाई, 2004/आषाढ़ 21, 1926 (शक)

संख्या:44

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 09.07.2004 को अपराहन 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में कुल 6 गैर सरकारी सदस्या के संकल्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित 03 संकल्पों को बैलेटिंग के आधार पर चुना गया है। इन्हें 23 जुलाई, 2004 को चर्चा के लिये लिया जायेगा :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का पाठ
1.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह	“यह सदन संकल्प करता है कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता और सुचिता लाने के लिए सभी विधायक एवं मंत्री अपनी आय एवं व्यय के ब्यौरों का खुलासा करे।”
2.	श्रीमती अंजलि राय	“यह सदन संकल्प करता है कि भावी पीढ़ियों को भविष्य में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए वाटर हारवेस्टिंग और जल संरक्षण की नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए”
3.	श्री भीष्म शर्मा	“यह सदन संकल्प करता है कि स्व. राजीव गांधी द्वारा लाये गये पंचायती राज अधिनियम को तुरंत लागू करते हुए सत्ता के विकेन्द्रीकरण और गांव-वासियों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए दिल्ली के गावों में पंचायतों के चुनाव तुरंत कराये जाएं।”

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)
Monday 12th July 2004 / 21 *Aashad* 1926 (*Saka*)

No. 44

Hon'ble Members are hereby informed that notices for six resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e. 9th July 2004. The following three resolutions have been selected on the basis of balloting. These would be taken up for discussion on the 23rd July 2004:

Sl. No.	Name of the Member	Text of the resolution
1	Shri Tarvinder Singh Marvah	"This House resolves that all Ministers and Members should declare their assets every year to ensure cleanliness and transparency in political life."
2	Smt. Anjali Rai	"This House resolves that to ensure adequate water for our future generations, water harvesting and water conservation policies should be strictly enforced."
3	Shri Bheeshm Sharma	"This House resolves that the provisions of the Panchayati Raj Act which was brought about by the Late Shri Rajiv Gandhi, should be immediately implemented; It further resolves that to enable decentralization of power and empower the villagers with a share in Governance, the Panchayat elections should be immediately conducted in Delhi."

Siddharath Rao
Secretary